पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2018 / 543 दिनांक : 28 FEB 2018

/ / संशोधन / /

कार्यालयीन पत्र क्र.शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2018 / 366, दिनांक 09 फरवरी 2018 के द्वारा जारी सूचना में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र 2018–19 की सम्बद्धता / नवीनीकरण / पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यक्रमों की वार्षिक सम्बद्धता निरंतरता प्राप्त करने / सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने, महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की द्वितीयवर्ष एवं तृतीयवर्ष, चतुर्थवर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु राज्य शासन / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई थी जिसे निम्नानुसार बढ़ाई जाती हैः–

क्र.	विषय	विश्वविद्यालय में **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	सत्र 2018–19 की सम्बद्धता / नवीनीकरण / सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने, महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की तिथि।	09 मार्च 2018
2	महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम पूर्व वर्षो से संचालित हो रहे है उनका सत्र 2018–19 के वार्षिक सम्बद्धता निरंतरता किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की तिथि।	09 मार्च 2018

महाविद्यालय **MP Online** के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात् तीन दिवस के अन्दर सम्पूर्ण आवेदनपत्र मय संलग्नको / प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग लगाकर प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता हैं कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावें जब कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो । किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावें। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी । ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यक्रमों की वार्षिक सम्बद्धता निरंतरता / सीट संख्या वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2018 / 543 दिनांक 28 FEB 2018

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य / संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बडवानी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. सम्पादक, दैनिक ———————————— की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

सहा.कुलसचिव (शैक्ष.)